अधिसूचना संख्या 1/2016 [एफ.सं.1/23/सीआईटी (ओएसडी)/ई-फाइलिंग-इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन/2015-16]
, दिनांक 19-1-2016

आयकर नियम 1962 के नियम 12 के उपनियम (3) के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड" का तात्पर्य प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा निर्दिष्ट आँकड़ा संरचना और मानकों के अनुसार आयकर वितरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के प्रयोजन के लिए उत्पन्न कोड से है। इसके अलावा, आयकर नियम 1962 के नियम 12 के उप-नियम (4) में कहा गया है कि आयकर (सिस्टम) के प्रधान महानिदेशक या आयकर (सिस्टम) के महानिदेशक प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करेंगे, आँकड़े के सुरक्षित प्रग्रहण और संचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रारूप और मानक और उचित सुरक्षा को विकसित करने और लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे, कॉलम में निर्दिष्ट शिष्टाचार (पेपर प्रपत्र के अलावा) में वितरणी प्रस्तुत करने के संबंध में अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियाँ (*IV*)उप-नियम (3) में तालिका की) और उप-नियम (2) के परंतुक में निर्दिष्ट तरीके से लेखा परीक्षा या सूचना का प्रतिवेदन।

2. आयकर नियम 1962 के नियम 12 के उपनियम 3 और उपनियम 4 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ('बोर्ड') द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) ने पूर्व अधिसूचना संख्या 1962 के तहत निर्धारित ईवीसी के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के सृजन के अतिरिक्त तरीकों के लिए प्रक्रियाएँ, आँकड़े की संरचना और मानक *निर्धारित*किए हैं। 2/2015 दिनांक 13 जुलाई 2015 के अनुसार:

ईवीसी सृजन के अतिरिक्त तरीके:

मामला (5): जहाँ ईवीसी (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड) ई-फाइलिंग वेबसाइट https://incometaxindiaefilinq.gov.in पर बैंक विवरण देकर उत्पन्न किया जाता है।

निर्धारिती को ई-फाइलिंग वेबसाइट i.e.https:// incometaxindiaefiling. gov. in में विवरणिका सेटिंग प्रसूचि के तहत बैंक खाते की जानकारी को प्री-वैलिडेट करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। निर्धारिणी को निम्नलिखित बैंक खाते का विवरण देना होगा: 1. बैंक खाता संख्या 2। आईएफएससी 3। ईमेल आईडी और 4। मोबाइल नंबर। ई-फाइलिंग आँकड़ा संचय के अनुसार पैन और नाम के साथ निर्धारिणी द्वारा प्रदान किए गए इन विवरणों को बैंक में पंजीकृत निर्धारिणी के विवरण के आधार पर मान्य किया जाएगा। यदि पूर्व-सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, तो निर्धारिणी आयकर वितरणी सत्यापित करते समय "बैंक खाता विवरण का उपयोग करके ईवीसी उत्पन्न करें" विकल्प का चयन कर सकता है।

उत्पन्न ईवीसी ई-फाइलिंग पोर्टल द्वारा निर्धारिणी की ई-मेल आईडी और/या बैंक से सत्यापित मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।

इस सुविधा में भाग लेने वाले बैंकों की सूची

https://incometaxindiaefiling.qov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

मामला (6): जहाँ सीडीएसएल/एनएसडीएल के साथ पंजीकृत डीमैट विवरण का उपयोग करके डीमैट खाता प्रमाणीकरण के बाद ईवीसी (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड) उत्पन्न किया जाता है

निर्धारिती को ई-फाइलिंग वेबसाइट i.e.https:// incometaxindiaefiling. gov. in में विवरणिका सेटिंग प्रसूचि के तहत डीमैट खाते की जानकारी को पहले से पूर्व-सत्यापन करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। निर्धारिणी को निम्नलिखित डीमैट खाते का विवरण प्रदान करना होगा: 1. डीमैट अकाउंट नंबर 2. ईमेल आईडी और 3. मोबाइल नंबर। ई-फाइलिंग आँकड़ा संचय के अनुसार पैन और नाम के साथ निर्धारिणी द्वारा प्रदान किए गए इन विवरणों को निक्षेपागार (सीडीएसएल/एनएसडीएल) के साथ पंजीकृत निर्धारिणी के विवरण के विरुद्ध मान्य किया जाएगा। यदि पूर्व-सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, तो निर्धारिणी आयकर वितरणी सत्यापित करते समय "डीमैट खाता विवरण का उपयोग करके ईवीसी उत्पन्न करें" विकल्प का चयन कर सकता है।

उत्पन्न ईवीसी ई-फाइलिंग पोर्टल द्वारा सीडीएसएल/एनएसडीएल से सत्यापित ईमेल आईडी और/या मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।

इस सुविधा में भाग लेने वाली निक्षेपागार (सीडीएसएल/एनएसडीएल) की सूची https://incometaxindiaefiling.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है।

3. अन्य शर्तें

ईवीसी सृजन का अतिरिक्त तरीका इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। अन्य सभी शर्तें प्रधान महानिदेशक आईटी (सिस्टम), नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. 2/2015 दिनांक 13.07.2015 में निर्दिष्ट के अनुसार ही रहेंगी।

4. ईवीसी के सृजन और सत्यापन की विधि और प्रक्रिया तथा इसके उपयोग को प्रधान डीजीआईटी (प्रणाली)/डीजीआईटी(प्रणाली) द्वारा संशोधित, हटाया या जोड़ा जा सकता है।

■■